न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 102/2018 **दायरा दिनांक : 06.07.2018**

उनवान

मांगीलाल पुत्र गंगासिंह उर्फ गंगाराम, जाति सोंध्या निवासी कुण्डला खेमराज, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– राजाबाई पुत्री गंगाराम, जाति सोंध्या निवासी कुण्डला खेमराज, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

2– श्यामूबाई पुत्री गंगाराम, जाति सोंध्या निवासी कुण्डला खेमराज, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

3– कैलाशबाई पुत्री गंगाराम, जाति सोंध्या निवासी कुण्डला खेमराज, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

4– कमलाबाई बेवा गंगाराम, जाति सोंध्या निवासी कुण्डला खेमराज, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

5– भंवरबाई बेवा गंगाराम, जाति सोंध्या निवासी कुण्डला खेमराज, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित – श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री अशोक कुमार चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 2 व 5 की ओर से तथा शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.04.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिससे वाद संख्या – 3905/2017 वास्ते वाद अन्तर्गत प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट खारिज किया गया।

निर्णय दिनांक : 30.01.2023

1 **वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –**

2 यह कि वादी/प्रार्थी ने उक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें वादी/प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है।

3 यह कि ग्राम कुण्डला, खेमराज पटवार हल्का खारपाकलां, तहसील पिडावा में खाता संख्या 16 का खसरा नम्बर 8 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 27 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 29 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 42 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 43 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 44 रकबा 1 बिस्वा,

लॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नम्बर 150 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 151 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 319 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 327 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 13 कुल रकबा 43 बीघा 5 बिस्वा स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा बनता है एवं ग्राम अमीनपुर, पटवार हल्का गोविन्दपुरा, तहसील पिडावा में खाता संख्या 14 की खसरा नम्बर 125/66 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। इस आराजी को वाद में आगे विवादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया गया है।

4 यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 2 में वर्णित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को गंगासिंह उर्फ गंगाराम की मृत्यु के पश्चात् विरासत में प्राप्त हुई है और अप्रार्थीगण अब इस विरासत में प्राप्त आराजी को रहन, बेचान, हस्तानान्तरण करने पर आमादा हो रहे हैं। जबकि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 प्रार्थी के पास ही रहती है लेकिन उन्हें बहला फुसला कर अन्य अप्रार्थी अपने निजी फायदे के लिए प्रार्थी के हक को समाप्त करने की नियत रखते हैं। इसलिए आराजी को हस्तानान्तरण करवाने पर आमादा हो रहे हैं। इसलिए अप्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। ताकि प्रार्थी के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा हो सके।

5 यह कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस है क्योंकि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को विरासत से प्राप्त हुई है और अभी इस आराजी का विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वर्तमान में विवादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा फसल बो रखी है। अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होनी है, क्योंकि अप्रार्थीगण के द्वारा विवादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान,

डॉ॰ अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थी को ऐसी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन द्रव्य में नहीं किया जा सकेगा।

6 अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम कुण्डला, खेमराज पटवार हल्का खारपाकलां, तहसील पिडावा में खाता संख्या 16 का खसरा नम्बर 8 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 27 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 29 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 42 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 43 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 44 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 150 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 151 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 319 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 327 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 13 कुल रकबा 43 बीघा 5 बिस्वा स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा बनता है एवं ग्राम अमीनपुर, पटवार हल्का गोविन्दपुरा, तहसील पिडावा में खाता संख्या 14 की खसरा नम्बर 125/66 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा आराजी को ताफैसला वाद तक कही रहन, बेचान, हस्तानान्तरण नहीं करें तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल नहीं करें और ना ही किसी अन्य से ऐसा करावें।

7 **अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –**

8 प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता धारा 212 रा. टी. एक्ट. के अन्तर्गत प्रा. प. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुण्डला खेमराज की जमाबंदी संम्वत 2069–2072 के खाता संख्या 16 की आराजी किता 13 रकबा 43 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है एवं ग्राम अमीनपुर की जमाबंदी संम्वत 2069–2072 के

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खाता संख्या 14 की आराजी खसरा नम्बर 125/66 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खाते में दर्ज है, वाग्रस्त आराजियात है। उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को गंगाराम की मृत्यु के पश्चात विरासत से प्राप्त हुई है। अप्रार्थीगण अब इस आराजी को रहन, बेचान, हस्तानान्तरण करने पर आमादा हो रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 प्रार्थी के साथ रहती है, परन्तु अन्य अप्रार्थी उनको बहला फुसला कर प्रार्थी के हक को समाप्त करना चाहते हैं इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस है क्योंकि वादग्रस्त आराजी विरासत से प्राप्त हुई है जिसका विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान हस्तानान्तरण करने से अपूर्णीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी को होगी।

9 अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह ग्राम कुण्डला खेमराज की जमाबंदी सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या 16 की आराजी किता 13 रकबा 43 बीघा 5 बिस्वा भूमि का 1/3 हिस्सा है एवं ग्राम अमीनपुर की जमाबंदी सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या 14 की आराजी खसरा नम्बर 125/66 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि में ताफैसला मूल वाद तक कहीं रहन, बेचान हस्तानान्तरण नहीं करें एवं प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल नहीं करें।

10 प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4, 5 की ओर से जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उल्लेखित तथ्यों को गलत एवं अस्वीकार कर विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा उनके पिता/पति के जमाने से चला आ रहा है। मृतक गंगाराम के दो पत्नियां अप्रार्थी संख्या 4 व 5 हैं एवं अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 गंगाराम की पुत्रियां हैं। प्रार्थी ने अपनी दोनों माताओं की सेवा नहीं की है। अप्रार्थी संख्या 2 श्यामूबाई अपनी माताओं के साथ रहकर उनकी सेवा करती है। प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस नहीं है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है। इसलिए यदि उनको पाबन्द किया जाता है तो प्रार्थी इसकी आड में अप्रार्थीगण को उनके हिस्से से बेदखल कर देगा, जिससे अप्रार्थीगण को भारी अपरिमित क्षति होगी। अप्रार्थी कैलाशबाई, कमलाबाई, भंवरबाई ने आराजी खसरा नम्बर 125/66 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि में अपना हिस्सा अप्रार्थी श्यामूबाई के पक्ष में हक त्याग कर दिया है जिस पर श्यामूबाई व उसके पति द्वारा काश्त की जा रही है।

11 अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर. टी. एक्ट का मय हर्जे खर्चे को खारिज किया जावे। इसी प्रकार का जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 राजाबाई की ओर से पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

12 प्रार्थी द्वारा ग्राम कुण्डला खेमराज एवं अमीनपुर की जमाबंदी खातों की छाया प्रति तथा नक्शा ट्रेस की छाया प्रतियां प्रस्तुत की।

13 वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आर आर टी 2014(1) पेज 509, आर आर टी 2013(2) पेज 1225, आर आर टी 2002(1) पेज 324 की न्यायिक नजीरे प्रस्तुत कर वक्त बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को अपने पिता/पति गंगाराम की मृत्यु के पश्चात्

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विरासत से प्राप्त हुई है, जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी बेचान कर खुर्द बुर्द करना चाह रहे हैं। वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार अपना हिस्सा एक सहखातेदार के पक्ष में हकत्याग नहीं कर सकता है। वाद के जैरकार रहते वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान, हस्तानान्तरण करने से रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण की है। यदि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अन्य से लडना होगा। अतः अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

14 वकील अप्रार्थीगण ने आर आर टी 2006 (1) पेज 193, आर आर टी 2013(2) पेज 1108, आर आर टी 2009(1) पेज 25 की न्यायिक नजीरे प्रस्तुत कर वक्त बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की है एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से की सीमा तक विवादित भूमि के स्वामी है। प्रार्थी द्वारा बंटवारे का अथवा घोषणा का दावा नहीं लाया गया है। वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक खातेदार का हक व हिस्सा है। आर.टी.एक्ट की धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार एक सहखातेदार दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा नहीं ला सकता है। अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि का हकत्याग कर रखा है जिसके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष वाद में नहीं चाहा गया है। प्रार्थी को आर.टी. एक्ट की धारा 188 के बजाय धारा 53 का वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी/स्थायी निषेधाज्ञा देना कानून रूप से उचित नहीं है। सहखातेदार को बिना विभाजन के अपने हिस्से तक भूमि का

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बेचान करने का अधिकार है। प्रार्थी का प्राइमाफेसी केस नहीं है और न ही सुंविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अपूर्णीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी की नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

15 प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, राजस्व रेकार्ड का अवलोन किया गया तथा वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर गौर किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में यह पाया कि ग्राम कुण्डला खेमराज एवं अमीनपुर की वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, जिसमें उभयपक्ष का हक एवं हित निहित है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की सीमा तक विवादित भूमि के स्वामी हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी का नहीं है। अपूर्णीय क्षति की संभांवना भी प्रार्थी की नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

16 **इस न्यायालय के अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–**

17 यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है।

18 यह कि अप्रार्थी कम 3, 4, 5 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन की मद नं. 5 में यह कथन किया है कि उन्होंने ग्राम अमीनपुर में अपने हिस्से की आराजी का त्याग श्यामूबाई के पक्ष में कर दिया है।

19 यह कि अपील में विधिक प्रश्न यह है कि वादग्रस्त जायदाद संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में रिलीजडीड के माध्यम से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कोई एक खातेदार अन्य किसी एक विशिष्ट खातेदार के पक्ष में हक त्याग नहीं कर सकता है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चय की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं देकर कानूनी भूल की है।

20 अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपीलांट द्वारा मांगा गया अनुतोष अपीलांट को दिलाया जावे। आराजी को बेचान–रहन–गिरवी–दान–वसीयत–हस्तान्तरण आदि नहीं करने के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावे।

21 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थी अपीलांट झालावाड़ मुख्यालय से लगभग सवा सौ किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके का व्यक्ति है उसने दिनांक 04.05.2018 को अपील पेश करने के लिए झालावाड़ आकर अपील तैयार करवा ली थी, किन्तु माननीय न्यायालय का कैम्प नहीं होने से वह आज न्यायालय केम्प में अपील पेश कर रहा है। प्रार्थी अपीलांट आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है। अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

22 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

23 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

24 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

25 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि गंगाराम की दो पत्नियां कमलाबाई व भंवरबाई थी। गंगाराम की मृत्यु हो चुकी है। मांगीलाल ने अपनी दोनों माताओं की कभी भी सेवा सुश्रुषा नहीं की है।

26 श्यामूबाई अपनी माताओं के साथ रहकर उनकी सेवा करती रही है। इसलिए मांगीलाल का प्रथम दृष्टया केस नही है। पक्षकारान वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है।

27 ग्राम कुण्डला खेमराज एवं अमीनपुर की वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान के सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की है जिसमें उभयपक्षकारान का हक एवं हित निहित है।

28 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

29 अपीलांट एवं रेस्पोडेंटगण अपने अपने हिस्से की सीमा तक विवादित आराजी के स्वामी है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

30 प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में नहीं है एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट का नहीं है तथा अपूर्णीय क्षति की संभावना भी अपीलांट को नहीं है।

31 अतः अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह उचित है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

32 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.04.2018 यथावत रखा जाता है ।

33 निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/1/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा